

कन्याबाई वगेरह बनाम राजुसिंह वगेरह
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
 राजस्व प्रा.पत्र संख्या 47/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु
27.06.2018	<p>वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित। भूमिधारी तहसीलदार बाली उपस्थित।</p> <p>प्रकरण में तहसीलदार बाली भूमिधारी को सुना गया। तथा मजमा-ए-आम में पुछताछ किये जाने पर जाहिर हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 राजुसिंह पुत्र जावंतसिंह दिनांक 04.06.2013 को फौत हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 भंवरलाल दिनांक 05.03.2018 को फौत हो चुका है। दोनों ही मृत प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के कायम मुकाम आदिनांक रेकार्ड पर नहीं है एवं न ही वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी 1 व 5 के कायम मुकाम वारिसान का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 जो पांच वर्ष पूर्व फौत हो चुका है, उसके फौत होने की सूचना आजतक पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत दादाई के जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र 13.06.2013 जो प्रतिवादी संख्या 1 तथा 21.03.2018 जो प्रतिवादी संख्या 5 के मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दादाई द्वारा जारी किये गये है की डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त कर संलग्न पत्रावली की गई। जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के फौत हो जाने एवं नियत अवधि में उनके कायम मुकाम की सूचना रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने से उक्त वाद का उपशमन (abate) हो जाता है।</p> <p>अतः वाद वादी जरिये उपशमन (abate) खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल नुमांर होकर संख्या से कम हो।</p>	



(राजेश मेवाड़ा)
 उपखण्ड अधिकारी
 देसा